राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

कमांकः एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/18/46438-874 दिनांक 05-6-2018

1. **जिला कलक्टर (समस्त)**
2. **क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त), स्वायत्त शासन विभाग**
3. **आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद्/पालिका (समस्त)**

विषयः–मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) में सम्मिलित बावड़ियों में एकत्रित जल की उपयोगिता एवं रख–रखाव सुनिश्चित करने बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) राज्य सरकार की जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, जिसकी प्रगति की समीक्षा माननीया मुख्यमंत्री महोदया के स्तर पर निरंतर की जाती है। माननीया मुख्यमंत्री महोदया के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 18.05.2018 को जयपुर में आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान माननीय अध्यक्ष, राज्य नदी बेसिन एवं जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्रथम चरण के चयनित शहरों में सम्मिलित बावड़ियों व आरटीडब्ल्यूएचएस का पावर पॉईन्ट प्रजेंटेशन किया गया, जिनमें कुछ अच्छे उदाहरण थे, परंतु अधिकांश बावड़ियों की स्थिति दयनीय थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बावड़ियों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई व बावड़ियों में एकत्रित वर्षा जल का अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग व रख–रखाव सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इसी कम में राज्य स्तरीय निर्देशन समिति की बैठक दिनांक 31.05.2018 में माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुनः इस पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देशित किया कि निर्देशन समिति की आगामी बैठक दिनांक 13.06.2018 से पूर्व प्रथम चरण में सम्मिलित 222 बावड़ियों में एकत्रित जल की उपयोगिता नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत Utility and Maitenance Plan के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि बावड़ियों के उपयोग एवं रख–रखाव हेतु नगरीय निकायो द्वारा प्रस्तुत Utility and Maitenance Plan व वर्तमान स्थिति का स्वयं उनके स्तर पर प्रति परीक्षण (Cross Check) किया जायेगा।

अतः प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आप अपने स्तर पर सुनिश्चित करें कि प्रथम चरण में सम्मिलित बावड़ियों का नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत Utility and Maitenance Plan के अनुसार उपयोगिता

एवं रख–रखाव किया जा रहा है और बावड़ी सहित आसपास का क्षेत्र साफ–सुथरा है। बावड़ी में जल उपलब्ध न होने की स्थिति में भी बावड़ी को साफ–सुथरा रखा जायें ताकि आगामी मानसून के दौरान साफ–सुथरी बावड़ी में अधिक से अधिक मात्रा में वर्षा जल एकत्रित हो सके और अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा इस स्वच्छ जल उपयोग किया जा सके।

इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

1/6/18

(नवीन महाजन)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/18/ 46438-874 दिनांक 05-6-2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण।
4. मेयर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगरीय निकाय।
5. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू–जल विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
10. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण।
11. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
12. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर।
13. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय।
14. प्रोग्रामर आईटी प्रकोष्ठ, निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव